


13/2/24 - पत्रावली पैसा हुई, वकील उधरापत्र उपस्थित / वकील-
अभयपत्र उपस्थित की लक्ष सुनी गई। पत्रावली
सम्बन्धी आदेश दिनांक 26/2/24 को पैसा है।

26/2/24 - पत्रावली पैसा हुई, वकील प्रार्थी की लक्ष पूर्ण में
सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि पूर्व में
अभय पत्र में चले जाते हैं कोरोना-19 का प्रकोप
होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वाद
प्रवरित किया गया, संपत्ति विवाद को ही पुनः
जंजल पर लिया जाऊँगा। वकील प्रार्थी
ने वाद को पुनः जंजल पर लिया जाते हैं
कोई आपत्ति नहीं है। वाद - पूर्व में स्वीकृति
के अन्तर्गत प्रार्थी पत्र स्वीकार किया
जाना है, मूल वाद सं. 32/2017 को पुनः
जंजल पर लिया जाते हैं प्रार्थी पत्र मूल वाद
32/2017 के संलग्न रहे। पत्रावली पैसा सुनाने
के लिए जंजल से काम है।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

